<u>न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर</u>

अपील / रसद / 07 / 2019

माधव शर्मा उचित मूल्य दुकानदार, कस्बा बयाना तहसील बयाना, जिला भरतपुर ।

......अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी भरतपुर।

.......रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर दि0 08.05.2019 वमुकदमा सरकार बनाम माधव शर्मा संख्या 03 / 2019 अन्तर्गत धारा 22 खाद्य सुरक्षा अधिनियम ।

<u>निर्णय</u> **<u>दिनांक 08.01.2020</u>**

अपीलाण्ट ने यह अपील विरुद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर दि0 08.05.2019 इस आशय की प्रस्तुत की है कि अपीलांट के विरूद्ध जो आरोप लगाये गये है उनका अपीलांट द्वारा जबाव दिया गया। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में अपीलांट के जबाव की कोई विवेचना नही की है। रजिस्टर, मूल्य सूची बोर्ड, दुकान का प्राधिकार पत्र, नक्शा, यूनिट रजिस्टर ,खाद्य सूरक्षा सूची आदि अपीलांट के पास मौजूद थे जिनको अपीलांट ने दौराने जांच अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। 01 लीटर कैरोसीन व 16.05 कि.ग्रा. चीनी वक्त जांच दुकान पर ही उपलब्ध थी। अपीलांट के विरूद्ध किसी भी उपभोक्ता के द्वारा राशन वितरण में अनियमितता करने या राशन नही देने बाबत कोई शिकायत नही है। अपीलाधीन आदेश रिकार्ड के विपरीत है जो काविल खरिज के है। अंत में अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.05.2019 को निरस्त कर प्राधिकार पत्र बहाल करने की प्रार्थना की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट एवं तहत पत्रावली तलब की गई। तहत पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न मिसल है।

पत्रावली पर योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलांट पर तहत न्यायालय द्वारा जो आरोप लगाये गए हैं उनमें अपीलांट द्वारा किसी भी प्रकार की कोई बड़ी अनियमितता कारित करने से संबंधित नहीं है। अभिभाषक अपीलांट ने यह भी निवेदन करते हुए कथन किया है कि रजिस्टर, मूल्य सूची बोर्ड, दुकान का प्राधिकार पत्र, नक्शा, यूनिट रजिस्टर इत्यादि अपीलांट के पास मौजूद थे और 1 लीटर कैरोसीन व 16.05 कि.ग्रा. चीनी वक्त जांच दुकान पर ही उपलब्ध थी। अपीलांट द्वारा किसी भी प्रकार की राशन वितरण में कोई

अनियमितता नहीं बरती गई है और न अपीलांट के विरूद्ध राशन वितरण से संबंधित किसी उपभोक्ता की कोई शिकायत है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावे।

पैरोकार रसद ने अपने कथनों में जाहिर किया है कि वक्त निरीक्षण डीलर की दुकान पर स्टॉक व मूल्य सूची का प्रदर्शन नहीं होना पाया गया। इसके अलावा डीलर द्वारा प्राधिकार पत्र, नक्शा, स्टॉक/ यूनिट रजिस्टर खाद्य सुरक्षा सूची आदि का रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं कराया गया। भौतिक सत्यापन पर 01 लीटर कैरोसीन व 16.05 किग्रा0 चीनी कम पाई गयी। इस कृत्य के लिए डीलर दोषी है। इस कारण अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

हमने अभिभाषक अपीलान्ट एवं पैरोकार रसद द्वारा की गई बहस पर मनन किया । पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध डीलर द्वारा प्रस्तुत जबाब से स्पष्ट है कि स्टॉक एवं मूल्य सूची बोर्ड दुकान के अन्दर ही रखे हुए थे। दुकान का प्राधिकार पत्र ,नक्शा , यूनिट रजिस्टर , खाद्य सुरक्षा सूची व आवश्यक वस्तुओं के स्टॉक रजिस्टर दुकान परिवर्तन के कारण घर पर रखा होना जांच अधिकारी को बताया गया और 01 ली0 कैरोसीन व 16.05 किग्रा0 चीनी भी दुकान पर मौजूद थी। हालांकि डीलर द्वारा स्टॉक व मूल्य सूची बोर्ड दुकान के बाहर प्रदर्शित न कर दुकान के अन्दर रखा गया था। दुकान से संबधित समस्त रिकॉर्ड वक्त जांच दुकान पर मौजूद नहीं था। डीलर को चेतावनी दी जाती है कि वह भविष्य में स्टॉक व वस्तुओं की मूल्य सूची बोर्ड नियमित रूप से दुकान पर प्रदर्शित करे एवं प्राधिकार पत्र नक्शा , यूनिट रजिस्टर, खाद्य सुरक्षा सूची व आवश्यक वस्तुओं के स्टॉक रजिस्टर आदि का रिकॉर्ड दुकान पर हमेशा उपलब्ध रखे।

उपरोक्त विवेचन से अपीलांट के विरूद्व आरोप गंभीर प्रकृति के नहीं है। और ना ही उसके खिलाफ राशन सामग्री की कालाबाजारी किया जाना प्रमाणित होता है। ऐसी स्थिति में तहत न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर समस्त प्रतिभूति राशि जब्त किये जाने की आज्ञा पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अस्तु अपीलाधीन आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए अपीलांट की प्रतिभूति राशि जब्ती आदेश को यथावत रखते हुए प्राधिकार पत्र बहाल किया जाना उचित पाते हैं। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। पत्रावली इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि जिला रसद अधिकारी भरतपुर का आदेश दिनांक 08.05.2019 में से प्राधिकार पत्र निरस्ती का आदेश अपास्त किया जाता है तथा प्रतिभूति राशि जब्ती का आदेश यथावत रखा जाता है। अपीलांट का प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाकर आदेश दिया जाता है कि अपीलांट से प्रतिभूति राशि जमा कराया जाकर डीलर की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जावे। निर्णय की प्रति के साथ तहत पत्रावली वापस जिला रसद अधिकारी भरतपुर को भेजी जावे।

निर्णय आज दि0 08.01.2020 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.01.16 16:18:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: